भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5083
02 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

पोषणवर्धित चावल का वितरण

5083. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) पोषणवर्धित चावल के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किए गए जागरूकता अभियानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसमें विभिन्न हितधारकों की भागीदारी कितनी है; और
(ख) विभिन्न जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना के अंतर्गत शामिल जिलों की संख्या कितनी है और उनमें कितनी मात्रा में पोषणवर्धित चावल वितरित किया गया है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): लोगों को फोर्टिफाइड चावल के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए, विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे देश के आदिवासी क्षेत्रों में फोर्टिफाइड चावल के लाभों और पोषण सुरक्षा पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें। तदनुसार, गुजरात (वापी), महाराष्ट्र (नासिक और नंदुरबार), छत्तीसगढ़ (कांकेर), झारखंड (पूर्वी सिंहभूम), मध्य प्रदेश (शहडोल, मंडला, बड़वानी) और केरल (वायनाड) राज्यों में आदिवासी आबादी वाले 9 जिलों में कार्यशालाएँ/सेमिनार आयोजित किए गए, जिसमें डीएफपीडी, एफसीआई और अन्य हितधारकों जैसे चिकित्सा पेशेवरों, मीडिया के सदस्यों, प्रमुख हस्तियों, स्थानीय नेताओं और विकास भागीदारों सहित क्षेत्र विशेषज्ञों की भागीदारी थी। इसके अलावा, एफसीआई द्वारा फोर्टिफाइड चावल के पोषण संबंधी लाभों के बारे में हितधारकों को जागरूक करने के लिए मंडल/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इसके अलावा, एफएसएसएआई ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों के बीच फोर्टिफाइड चावल के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए एक परामर्शिका भी जारी की थी।

...2/-

इस विभाग द्वारा जागरूकता फैलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आईईसी सामग्री भी साझा की गई।

प्रशासनिक/आकस्मिक लागत के लिए प्रति जिला 5.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें अन्य के साथ-साथ सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) और क्षमता निर्माण शामिल है, जिसे चरण-II और चरण-III में चावल फोर्टिफिकेशन पहल के कार्यान्वयन के दौरान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

चावल फोर्टिफिकेशन पहल को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी केंद्रीय सरकारी स्कीमों में 100% चावल वितरण/उठान प्राप्त करना है। चरण-वार कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है;

- चरण I (2021-22): एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) को कवर किया गया, और इस चरण के दौरान लगभग 17.51 लाख टन फोर्टिफाइड चावल का उठान किया गया।
- चरण II (2022-23): इस चरण के दौरान 291 आकांक्षी और उच्च-बोझ वाले जिलों में, चरण I के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी स्कीमों में (ओडब्ल्यूएस) लगभग 136 लाख टन फोर्टिफाइड चावल का उठान किया गया।
- चरण III (2023-24): इस चरण के दौरान चरण II के अलावा देश के शेष जिलों में लगभग 322 लाख टन फोर्टिफाइड चावल उठाया/वितरित किया गया।

मार्च 2024 तक, सभी स्कीमों ने पूरे देश में कस्टम-मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल से बदल दिया।

*****